संख्या: 2/2015/बी-2-870/दस-2015-2/2014
पंचायती राज अनुभाग-3 पत्रावली संख्या-100(10)/2012

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2015

विषय: तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिये व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि में से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण आदि के लिये अनुमन्य 1% की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/523/2014-15/50/2015 दिनांक 09 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-61 में पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिये व्यवस्थित धनराशि रूपये 269500.00 लाख में से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण आदि के लिये अनुमन्य 1% की धनराशि **रूपये 2695.00 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ पचानवे लाख मात्र)** निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं किः-

"उक्त धनराशि को निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आहरित करके जिला पंचायत लखनऊ के डिपाजिट खाते में जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय किया जायेगा। ''

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 2/2015/बी-2-870(1)/दस-2015-2/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) उ0प्र0 शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7- निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, दसवां तल, लखनऊ।
8- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in